संख्या-7/109/38-3-2015-60(अधि0)/2014

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2015

विषय- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 32/स्था0-3/2015, दिनांक 08-01-2015, जिसके द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की निम्न लिखित व्यवस्था है:-

" मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम 15 वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र में विस्तार कर सकता है।"

3- इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 की व्यवस्थानुसार शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.i